झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.– 8 / ज.स.(नि.)ग्रा.– 08–05 / 2014:– रॉंची, दिनांक:–

आदेश

श्री सूर्यकांत झा, तत्कालीन कनीय अभियंता, माण्डर प्रखण्ड सम्प्रति सेवा निवृत के विरूद्ध मांडर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम– चुन्द में शमशान शेड निर्माण में विधायक कोष की राशि के दुरूपयोग के आरोप में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 912 दिनांक 21.05.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सूर्यकांत झा, सेवानिवृत कनीय अभियंता के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए श्री झा को निम्न दण्ड दिया जाता है:–

(I) पेंशन राशि से 2 % राशि की कटौती।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0 / –
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव (नि.)।

ज्ञापांक:– 2209 / रॉंची, दिनांक:– 6-5-15

प्रतिलिपि:-- महालेखाकार, (लेखा एवं हक.), झारखंड, रॉंची / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची / संयुक्त सचिव (प्र.), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची / उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची / कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, रांची / अवर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, झारखण्ड, रांची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची / श्री सूर्यकान्त झा, ग्राम– छाछा, पो.– छाछा, थाना– केवटी रनवे, जिला– दरभंगा, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, रांची को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए विभाग को सूचित किया जाय।

6.5.15
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव(नि.)।
6.5.15